संख्या – 708 19/9/20

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण–पत्र

पत्रावली संख्या जी – 43656

नवीनीकरण संख्या– 153 /2020–2021

एतद्द्वारा प्रमाणित किया जाता हैं कि सूर्या टेक्निकल हायर एजूकेशन शिक्षा समिति, मुखलिसपुर रोड़ एग्रो खलीलाबाद, जनपद – संतकबीरनगर, उ0 प्र0 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या– 1347/2008–2009 दिनांक 03/11/2008 को दिनाक 03/11/2018 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया हैं।

2750.00 रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी हैं।

दिनांक : 18.09.2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश
18/9/2020

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

51AA 1045[illegible]

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

यह कागज सलग्न [illegible] सूफी हैप्पीफ्लावर एजुकेशन शिक्षा समिति
मु० ...मुफ्ती मखु रोड ग्राम खलीलाबाद
जिला संत कबीरनगर ... रजि० - ५५ /०५-०६ के साथ संलग्न है
—स्मृति - पत्र ...

कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
6/11/08

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

रुपये

रु. 10

TEN RUPEES

Rs. 10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

51AA 104555

[illegible] सूफी [illegible] एजुकेशनल शिक्षा समिति
मु०- मुसलिमपुर मेंहदावल खलीलाबाद
जिला संतकबीर नगर जौ०- 436/5
प्रियम मावली

कार्यालय सहायक निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर
10/11/08

सूर्या टेक्निकल हायर एजूकेशन शिक्षा समिति

मुखलिसपुर रोड, एग्रो खलीलाबाद, संत कबीर नगर

स्मृति – पत्र

1– समिति का नाम	सूर्या टेक्निकल हायर एजूकेशन शिक्षा समिति मुखलिसपुर रोड, एग्रो खलीलाबाद, संत कबीर नगर
2– समिति का पूरा पता	मुखलिसपुर रोड, एग्रो खलीलाबाद, संत कबीर नगर
3– समिति का कार्यक्षेत्र	सम्पूर्ण उ0 प्र0
4– उद्देश्य	(1) समस्त छात्र/छात्राओं को उच्च शिक्षा का प्रबन्ध करना तथा समाज के अन्य कमजोर वर्ग छात्र/छात्राओ के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षा में किसी वर्ग के साथ भेद भाव न करना, तथा उनमे राष्ट्रीयता एकता की भावना जागृत करना।

(2) उच्च शिक्षा के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा बी0एड0, बी0पी0एड0, टेक्निकल शिक्षा जैसे बैचलर ऑफ कम्प्यूटर इन्जिनियरिंग, मास्टर कम्प्यूटर अप्लीकेशन, इन्फारमेशन एण्ड टेक्नालाजी तथा प्रबंधन सम्बन्धित उच्च शिक्षा के तहत इण्टर, स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध करना।

(3) संस्था के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भूमि भवन सम्पति अर्जित करना

(4) देश एंव विदेश तथा प्रदेश की सम उद्देश्यों वाली संस्थाओं/सहायता देने वाली सम्पर्क स्थापित करना और अपने उद्देश्य की पूर्ति करना।

(5) छात्र/छात्राओं में आपसी प्रेम, भाईचारा का बढावा देने के लिए समय– समय पर कार्यकम, कवि सम्मेलन, मुशायरा, विचार गोष्ठी, कीडा प्रतियोगिता आयोजित करना।

(6) सीमित संसाधनो को देखते हुए प्रथम चरण में विद्यालय की स्थापना करना।

(7) शारीरिक तथा मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलागों हेतु कल्याणकारी कार्यो की सम्पादन करना तथा इनके रहने के लिए नि:शुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करना।

(8) समाज में व्याप्त अंधविश्वास एंव कुरीतियों के [illegible] समाज को जागरूप करने के लिए कैसेट, होल्डिंग, पोस्टर व माध्यमों से समाज में अंधविश्वास के प्रति जागरूकता पै[illegible] करना।

(9) संस्था के माध्यम से सामान्य, पिछडी जाति, अनुसूचि[illegible] जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक बालक/बालिकाओं के लि[illegible] शिक्षा/तकनीकी शिक्षा का प्रबन्ध करना व उनके उत्थान लिए कार्य करना व शिशु से लेकर उच्च स्तर तक की शि[illegible] का प्रबन्ध करना।

(10) पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए प्रदूषण को रोकने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में व्यापक रूप से वृक्षारोपण को बढावा देना एंव इस पर शोध कार्य करना।

(11) अस्वस्थ वातावरण में रहने वाले निराश्रित बच्चों के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

(12) कार्यकमों का प्रचार प्रसार करना एवं जल प्रदूषण के विरुद्ध गोष्ठी, शोध केन्द्रो की स्थापना करना।

(13) विभिन्न कठिनाईयों में शासन व प्रशासन के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर जन साधारण की हर तरह से सेवा करना।

(14) मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, यूवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं अन्य मंत्रालय तथा उ0प्र0सरकार, भारत सरकार व अन्य राज्यों की सरकारो और विदेशी संगठनों के द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं की जानकारी देना।

(15) विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी से सम्बन्धित सभी कार्यकमों का प्रचार प्रसार करना एवं विज्ञान भवनों की स्थपना करना।

(16) विकलांगों के लिए शिक्षा का प्रबन्ध करना, विद्यालय, आश्रम–पद्वति विद्यालय, व आवासीय / अनावासीय विद्यालयों व शोध संस्थानो की स्थापना करना। एवं निःशुल्क संचालन करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ.प्र. गोरखपुर

(प्रबं)धकारिणी के सदस्यों के नाम व पते, पद, व्यवसाय जिनको समिति के स्मृति पत्र नियमों के अनुसार समिति को कार्यभार सौपा गया

नाम	पता	पद	व्यवसाय
राकेश कुमार पुत्र श्री एस0 नारायण	मुखलिसपुर रोड खलीलाबाद संतकबीर नगर	अध्यक्ष	कृषि
सतीश चन्द्र त्रिपाठी पुत्र श्री शिव कुमार त्रिपाठी	ग्राम व पोस्ट– रुधौली, बस्ती	उपाध्यक्ष	कृषि
उदय प्रताप पुत्र श्री सूर्य नारायण चतुर्वेदी	ग्राम–भिटहा पोस्ट– विश्वनाथपुर, संतकबीर नगर	प्रबन्धक	नौकरी
गिरजेश पाण्डेय पुत्र श्री जयराम पाण्डेय	ग्राम व पोस्ट– बनियाबारी, संतकबीर नगर	सेक्रेटरी	नौकरी
शिखा चतुर्वेदी पत्नी अजय प्रताप	ग्राम–भिटहा पोस्ट– विश्वनाथपुर, संतकबीर नगर	संयुक्त सेक्रेटरी	नौकरी
सविता पुत्री हरीराम पाण्डेय	ग्राम भिटवां पोस्ट–भिटवां, संतकबीर नगर	सदस्य	नौकरी
हिमांशु पुत्र ए0 [illegible]	ग्राम–भिटहा पोस्ट– विश्वनाथपुर, संतकबीर नगर	सदस्य	कृषि

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता संस्था के उपरोक्त स्मृति – पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार संस्था का समिति एक्ट 21 सन् 1860 के अनुसार सोसायटीज रजि0 करवाना चाहता हूँ।

दिनांक 31-10-08

हस्ताक्षर

Rakesh Kumar

उदय प्रताप

गिरिजेश पाण्डेय

सविता

हिमांशु

सतीश चन्द्र त्रिपाठी

शिखा चतुर्वेदी

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर

10/11/08

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

सूर्या टेक्निकल हायर एजूकेशन शिक्षा समिति

मुखलिसपुर रोड, एग्रो खलीलाबाद, संत कबीर नगर

	समिति का नाम	: **सूर्या टेक्निकल हायर एजूकेशन शिक्षा समिति मुखलिसपुर रोड, एग्रो खलीलाबाद–सन्त कबीर नगर**
2.	संस्था का पूरा पता	: मुखलिसपुर रोड, एग्रो खलीलाबाद–सन्त कबीर नगर
3.	संस्था का कार्य क्षेत्र	: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4.	संस्था का उददेश्य	: स्मृति के अनुसार
5.	संस्था के सदस्यो तथा सदस्यो का वर्ग	: सूर्या टेक्निकल हायर एजूकेशन शिक्षा समिति मुखलिसपुर रोड, एग्रो खलीलाबाद–सन्त कबीर नगर उ0प्र0 में निम्नलिखित सदस्य होगें।
	(a) संरक्षक सदस्य	: कोई भी ब्यक्ति जो समिति को 25000/–(पचीस हजार रू0 मात्र) या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह संरक्षक सदस्य होगा।
	(b) आजीवन सदस्य	: कोई भी व्यक्ति जो समिति को 15,000(पन्द्रह हजार रू0 मात्र) या उतनें से अधिक की सम्पत्ति प्रदान करेगा वह आजीवन सदस्य होगा।
	(ब) सामान्य सदस्य	कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समिति को 500/–(पांच सौ रू0 मात्र) चन्दा देगा वह समिति का सामान्य सदस्य होगा। उसकी सदस्यता एक वर्ष की होगी।
6.	सदस्यता की समाप्ति	: 1. सदस्य की मृत्यु होने पर। 2. सदस्य के दीवालिया या पागल होने पर। 3. समिति के विरुद्ध कार्य करने पर। 4. नियमित रुप से सदस्यता शुल्क न जमा करने पर। 5. त्याग पत्र देनें पर।
7.	आम सभा का गठन	: समितिके संरक्षक सदस्य, आजीवन सदस्य, सामान्य सदस्य का समूह आम सभा कहलाएगा।
8.	बैठक	: साधारण सभा (आम सभा) की सामान्य बैठक वर्ष

सहायक रजिस्ट्रार
संस्थायें सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

क्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा।

(ङ) प्रबन्धतंत्र के कोई दो सदस्य उ०प्र०रा०वि०वि० अधिनियम 1973 की धारा 20 के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत एक दूसरे के नातेदार नही होगें।

(च) संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(छ) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्ध तंत्र के सदस्य या पदाधिकारी के रुप में कोई व्यक्ति सम्यक रुप से चुना गया हैं या नही अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार हैं या नही या प्रबन्ध तंत्र वैध रुप से गठित हैं या नहीं तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(ज) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह अथवा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से संबधित सभी मूल दस्तावेज को ऐसी सोसायटी / न्याय / बोर्ड / मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने के लिए तैयार हैं।

(झ) परिनियम 13.06 में निर्दिष्ट विन्यासनिधि से प्राप्त आय महाविद्यालय के पोषण के लिए उपलब्ध रहेगी।

15. प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति

आमसभा अपने सभी प्रकार के सदस्यों में से प्रबन्ध कारिणी समिति का गठन करेगी। जिसमें अध्यक्ष–1, उपाध्यक्ष–1, प्रबन्धक–1, सेक्रेटरी–1, संयुक्त

Rakesh Kumar

सहायक/रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

शिखा चतुर्वेदी

सेक्रेटरी–1, तथा कार्यकारिणी सदस्य–2 होंगे। इस प्रकार कुल संख्या 07 होगी।

...ध समिति की बैठकें : प्रबन्ध समिति की सामान्य बैठक वर्ष में चार बार और विशेष बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी पूर्व सूचना के आधार पर बुलाई जायेगीं। इन बैठको के लिए 10 दिन पूर्व सूचना तथा विशेष बैठक के लिए 05 दिन की सूचना यू0पी0सी0 / पंजीकृत डाक से देकर बुलायी जायेगी।

17. कोरम : प्रबन्ध समिति के सदस्यों में से 2/3 सदस्य की उपस्थिति से कोरम होगा। प्रबन्ध समिति में रिक्त स्थानो की पूर्ति साधारण सभा (आम सभा) के 2/3 सदस्यों के बहुमत से शेष बचे कार्यकाल के लिए की जायेगी।

18. प्रबन्धकारिणी के कर्तव्य एंव अधिकार :

1. समिति की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
2. समिति के विकास के लिए दान,चंदा प्राप्त करना।
3. वार्षिक अधिवेशन के लिए समिति का बजट और रिपोर्ट तैयार करना।
4. समय–समय पर शिक्षा विभाग अथवा विश्वविद्यालय जिसके अधिकार क्षेत्र मे शिक्षण संस्थाए होंगी, उसके अधिनियमों, परिनियमों अध्यादेशों तथा शासनादेशों का पालन करना।
5. समिति के कार्यो के प्रबन्ध व अधिकार, प्रबन्धक में निहित होगा, जो कि अधिनियम, परिनियम अध्यादेशों तथा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही करेगा।
6. समिति के धन एंव सम्पत्ति की सुरक्षा के प्रबन्ध के लिए आवश्यक कदम उठाना।
7. अधिनियम / परिनियम तथा शासनादेशों के अन्तर्गत प्राचार्य, शिक्षकों एंव कर्मचारियों की नियुक्ति करना,

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

स्थायी करना व नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही करना।

8. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्र य,बंधक, पटटा, दान, संविदा पर भूमि प्राप्त करना अथवा अन्य माध्यमों से भूमि और दूसरी सम्पत्ति प्राप्त करना।

9. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, शिक्षा विभाग, सार्वजनिक संस्थाओं, व्यक्तियों व अन्य श्रोतों से अनुदान चन्दा आदि प्राप्त करना।

19. कार्यकाल : प्रबन्ध समिति का कार्य काल 5 वर्ष का होगा।

20. प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के अधिकार एंव कर्तब्य :

(अ) अध्यक्ष

1. समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिए तिथि निर्धारित करना।
3. आवश्यकता पड़ने पर बैठको को स्थगित करना।
4. समान मत होने पर निर्णायक मत का प्रयोग करना।
5. समिति के विकास हेतु उसके हित में अन्य आवश्यक कार्य करना।
6. प्रबन्ध समिति द्वारा समिति के हित में अन्य जिम्मेदारियां जो सौपी जाय उसका निर्धारण करना।

(ब) उपाध्यक्ष:–

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना, तथा अध्यक्ष द्वारा सौपें गये अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।

(स) प्रबन्धक के अधिकार एंव कर्तव्य:–

1. प्रबन्ध समिति का मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।

सहायक निबन्धक
Rakesh Kumar
15/12/2013

2. प्रबन्धसमिति के निर्णयों को कियान्वित करना।
3. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की स्वीकृति देना।
4. समिति का वित्तीय नियन्त्रण करना तथा बिल बाउचर को पास करना व हस्ताक्षर करना।
5. प्रबन्धसमिति के निर्णयानुसार अधिनियम, परिनियम एंव शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुसार व प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार प्राचार्य अध्यापकों व कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करना ।
6. राजकीय सहायता एंव अनुदान प्राप्त करना।
7. समिति के समस्त चल–अचल सम्पत्ति की रक्षा करना।

(द) सेक्रेटरी के अधिकार एंव कर्तव्यः–

1. समिति की ओर से समस्त आवश्यक पत्र व्यवहार करना।
2. बैठकों की सूचना सदस्यों को लिखित रूप से देना।
3. बैठक की कार्यवाही को लिखना और सदस्यो को सुनना।
4. समिति के सभी महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखना।
5. समिति के फण्ड का आडिट करवाना।
6. समिति की ओर से समस्त विधिक कार्यवाही की देख रेख करना व उसकी पैरवी करना।
7. समिति के किसी सदस्य, पदाधिकरी द्वारा समिति विरोधी कार्य करने पर उसे प्रबन्धसमिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

Rakesh Kumar

8. प्रबन्ध समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में 2,000/00(दो हजार रुपया) तक व्यय करना।

9. समिति का वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।

(य) संयुक्त सेकेटरी के अधिकार व कर्तव्यः–

1. सेक्रेटरी की अनुपस्थिति में उसके समस्त अधिकार संयुक्त ~~सेक्रेटरी~~ उपप्रबन्धक में निहित होगें।

21. प्राचार्य : समिति द्वारा संचालित सभी शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य ब्राहमण वर्ग के होंगे।

22. समिति का कोष : समिति का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा डाकघर में प्रबन्ध समिति के निर्णयानुसार जमा किया जायेगा तथा खोले गये खाते का संचालन अध्यक्ष एंव प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

23. समिति के अभिलेख : निम्नलिखित होगें:–

1. कार्यवाही रजिस्टर।
2. सदस्यता रजिस्टर।
3. रसीद बही।
4. कैश बुक।
5. स्टाक रजिस्टर।
6. अन्य आवश्यक अभिलेख।

24- संस्था का आडिट : संस्था के आय-व्यय का आडिट किसी मान्यताप्राप्त आडिटर/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

25. संस्था के विघटन और विघटित समात्ति के निस्तारण की कार्यवाही : उपरोक्त कार्यवाही उ0प्र0 सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा – 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

26- संशोधन : संस्था के संशोधन का पालन सो० र० अधि० 1860 की धारा 12 के [illegible]

[illegible] 10-08

Rakesh Kumar

[illegible]

[illegible]

[illegible]

सत्य – प्रतिलिपि

10/11/08

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

उ० प्र० गोरखपुर

10/11/08

प्रतिलिपि कर्ता [illegible]

मिलान कर्ता [illegible] 10/11/08